

प्रेस नोट दिनांक 22.03.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना- लीलापुर, जनपद- प्रतापगढ़

लूट/चेन स्नैचिंग प्रकरण का सफल अनावरण – संयुक्त पुलिस कार्यवाही में ₹25,000 इनामी छिनैती का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार

थाना लीलापुर व थाना लालगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही।

थाना लीलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 62/26 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त थाना लालगंज में गिरफ्तार पाया गया।

बरामदगी हेतु ले जाते समय अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार।

एक आरक्षी भी गोली लगने से घायल, दोनों को उपचार हेतु सीएचसी लालगंज भेजा गया।

अभियुक्त पर ₹25,000/- का इनाम घोषित था तथा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है,

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर एवं छिनी गई पीली धातु की चैन का हिस्सा बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 22.03.2026 को थानाध्यक्ष लीलापुर श्री बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय को सूचना प्राप्त हुई कि थाना लीलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 62/26 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त विपिन सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शीतला बक्स का पुरवा, थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के मु0अ0सं0 85/26 धारा 309(5) बीएनएस में गिरफ्तार होकर हवालात में निरुद्ध है।

उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष लीलापुर मय पुलिस टीम एवं विवेचक द्वारा थाना लालगंज पहुंचकर अभियुक्त से नियमानुसार पूछताछ की गई, जिसमें अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.03.2026 की घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस एवं छिनी गई पीली धातु की चैन का हिस्सा ग्राम कमौरा के पास सई नदी के निकट झाड़ियों में छिपाना स्वीकार किया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा बरामदगी हेतु उक्त स्थान पर पहुंचने पर अभियुक्त द्वारा छिपाए गए तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसमें आरक्षी राजकुमार सिंह घायल हो गए। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त विपिन सिंह के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस एवं मु0अ0सं0 62/26 से संबंधित पीली धातु की चैन का हिस्सा बरामद किया गया। घायल अभियुक्त एवं घायल आरक्षी को उपचार हेतु सीएचसी लालगंज भेजा गया है। अभियुक्त पर ₹25,000/- का इनाम घोषित था।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

विपिन सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शीतला बक्स का पुरवा, थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

अपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 1173/16 धारा 394/411 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 007/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 113/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0 273/19 धारा 392/411 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
5. मु0अ0सं0 004/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
6. मु0अ0सं0 0973/2016 धारा 394/411 भादवि थाना मुसाफिर खाना जनपद अमेठी।
7. मु0अ0सं0 82/26 धारा 309(5) बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0 62/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम (थाना लीलापुर)—

थानाध्यक्ष श्री बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव, उ0नि0 श्री सौरभ यादव, उ0नि0 श्री शिशिर पटेल, उ0नि0 श्री सुमित कुमार वर्मा, उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह, का0 सुनील कुमार, का0 बाबूलाल, का0 सौरभ पाण्डेय, का0 रंजीत बाबू, का0 विनय यादव, का0 पवन यादव, का0 राजकुमार सिंह, आरक्षी चालक योगेश कुमार, आरक्षी चालक अजय यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम (थाना लालगंज)—

प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार मय हमराह व0उ0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह, उ0नि0 बनबारी लाल पाल, का0 माधवेश राय, का0 ऋषि राज यादव,

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना पट्टी पुलिस द्वारा कुल 03 किलो 52 ग्राम अवैध गांजा व 01 ऑटो के साथ 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त व अभियुक्ता को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में थाना पट्टी के निरीक्षक श्री शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 प्रशान्त कटियार, उ0नि0 रवीन्द्र सिंह, का0 बृजेश यादव, म0का0 कल्पना यादव, का0 सतीश कुमार पाल, मय चालक हे0का0 मुकेश त्रिपाठी द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नया माल गोदाम के पास से 01 अभियुक्त करन सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ग्राम ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ व 01 अभियुक्ता मिथलेश सिंह पत्नी प्रमोद सिंह निवासी ग्राम ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से कुल 03 किलो 52 ग्राम अवैध गांजा व 01 ऑटो के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0 93/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

- 01- करन सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ग्राम ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।
- 02- मिथलेश सिंह पत्नी प्रमोद सिंह निवासी ग्राम ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष।

बरामदगी- कुल 03 किलो 52 ग्राम अवैध गांजा व 01 ऑटो बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 प्रशान्त कटियार, उ0नि0 रवीन्द्र सिंह, का0 बृजेश यादव, म0का0 कल्पना यादव, का0 सतीश कुमार पाल, चालक हे0का0 मुकेश त्रिपाठी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

थाना- रानीगंज, जनपद- प्रतापगढ़

हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित ₹25000/- के इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित ₹25000/- के इनामिया अभियुक्त खुर्शीद आलम को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे गोलिया मल्लू ईंट भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का विवरण-

दिनांक 14.03.2026 को रात्रि 08.30 बजे थाना रानीगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गम्भीरपुर स्थित मस्जिद के पास दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों के कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिलों से आए थे, जिनके मध्य कहासुनी के उपरांत एक-दूसरे पर असलहों से फायरिंग की गई। घटना के दौरान अजमत अली उर्फ शोएब अली व रंजीत उर्फ मेजर पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी रतनमई थाना दिलीपपुर को गोली लगने से चोटें आईं, जिन्हें उनके साथियों द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना रानीगंज में दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/2026 धारा 191(2), 193(3), 190, 109(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट बनाम दोनो पक्षो के 10 नामजद एवं कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 विकास बाबू, का0 सौरभ यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 95/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना रानीगंज से संबंधित ₹25000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के इनामिया 01 अभियुक्त खुर्शीद आलम उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र तकदीरुद्दीन उर्फ ननचू निवासी ग्राम मेढौली कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे गोलिया मल्लू ईंट भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार इनामिया अभियुक्त का विवरण-

01- खुर्शीद आलम उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र तकदीरुद्दीन उर्फ ननचू निवासी ग्राम मेढौली कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 विकास बाबू, का0 सौरभ यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा कुल 05 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में-

थाना रानीगंज के उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह कां0 विकास बाबू व कां0 सौरभ यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, सेशन केस नं0 620/2022 अ0सं0 264/2019 धारा 411/413/419/420/467/468/471 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त आजाद कुमार वर्मा उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र सुदामा वर्मा निवासी ग्राम लच्छीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना रानीगंज के उ0नि0 अवधेश यादव मय हमराह उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ यादव, कां0 राजू गौड़ व कां0 योगेन्द्र सिंह द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, सेशन केस नं0 127/2020 अ0सं0 291/2019 धारा 3(1) एससी/एसटी एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 04 वारंटी अभियुक्त, 01. पंकज शुक्ला उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र श्यामसुन्दर शुक्ला निवासी ग्राम बाबूपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 2. मान सिंह उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र नन्दलाल 3. जंग बहादुर उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र राम सुन्दर, 4. राज बहादुर उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र नन्द लाल निवासीगण ग्राम शाहपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. आजाद कुमार वर्मा उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र सुदामा वर्मा निवासी ग्राम लच्छीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
02. पंकज शुक्ला उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र श्यामसुन्दर शुक्ला निवासी ग्राम बाबूपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
03. मान सिंह उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम शाहपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
04. जंग बहादुर उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र राम सुन्दर निवासी ग्राम शाहपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
05. राज बहादुर उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र नन्द लाल निवासी ग्राम शाहपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को ग्राम बंसी तिराहा ग्राम कसेरुआ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2025 को ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज में दो पक्षों में मारपीट के प्रकरण में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 101/2026 धारा 191 (1)/191 (3)/190/115 (2)/109 (1) 1352/351 (3)/324 (4)/333 बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 साधूराम व का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 101/2026 धारा 191 (1)/191 (3)/190/115 (2)/109 (1) 1352/351 (3)/324 (4)/333 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त मुस्तफा पुत्र मौसिम अली उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम बंसी तिराहा ग्राम कसेरुआ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त मुस्तफा पुत्र मौसिम अली उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 साधूराम व का0 मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

टप्पेबाजी/ ठगी के प्रकरण में बड़ी बरामदगी — 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे के कब्जे से कुल 940/-रूपये बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण एवं 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा गौरामाफी तिराहे के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार-

ठगी की गंभीर घटना के दृष्टिगत पुलिस टीमों गठन कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों/ अनावरण हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था, अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही प्रचलित-

अमरगढ़ चौराहे पर सोने का बिस्किट बताकर महिला से आभूषण ठगने की घटना के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में अभियोग पंजीकृत किया गया था-

प्रतापगढ़।

दिनांक- 13.01.2026 को वादिनी निवासी अमरगढ़ उदईशाहपुर के साथ थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत अमरगढ़ चौराहे पर 01 मोटरसाइकिल से आए तीन अज्ञात व्यक्तियों ने वादिनी को पीले रंग का धातु का गुटका सोने का बिस्किट बताकर धोखे से दे दिया और बहन के यहां खिचड़ी ले जाने का बहाना बनाकर उसके सोने का नाक का फूल एवं पैरों की चांदी की पायल ले ली। वादिनी से उक्त व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी कर आभूषण लेकर फरार हो गये। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 07/2026 धारा 318(4), 304(2) बीएनएस बनान 03 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में घटना के त्वरित अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा सतत रूप से साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण एवं संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। उक्त अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप आज दिनांक 22.03.2026 को पुलिस टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें संलिप्त अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री राकेश कुमार चौरसिया के कुशल नेतृत्व में 30नि0 सचिन कुमार पटेल मय हमराह का0 लालबहादुर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 07/26 धारा 318 (4)/304 (2)/317 (2)/336 (2)/340 (2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त असलम अली पुत्र जुम्मन अली उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम करौरा थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत गौरामाफी तिराहे के पास से साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 940/- रुपये नगद बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 336(2), 340(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने 02 अन्य साथी से मिलकर महिलाओं को बेवकूफ बनाकर जेवरात को बहला फुसलाकर ले लेता हूँ न देने पर छीन के भाग जाते है। इसी प्रकार हम लोगों 13 जनवरी को अमरगढ़ में एक औरत के साथ टप्पेबाजी की घटना की थी। उसमें सामान की कीमत का अन्दाजा लगाकर मुझे 5000 रुपये मिले थे जिसमें से कुछ पैसे खर्च हो गये थे कुछ पैसे अभी भी मेरे पास है। पकड़े गये व्यक्ति की जामा

तलाशी ली गयी। तो अभियुक्त के बायीं जेब से 940 रुपये निकले जिसके सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि साहब ये वही पैसे है। जो टप्पेबाजी के हिस्से में मिले थे बचे हुए है। कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त असलम अली पुत्र जुम्न अली उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम करौरा थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का असलम पुत्र जुम्न निवासी करौरा थाना मछली शहर जौनपुर का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु.अ.सं. 0079/2022 धारा 392, 411 IPC थाना बरसठी जनपद जौनपुर ।
- 2- मु.अ.सं. 120/2022 धारा 3(1) गैंगे0 एक्ट थाना बरसठी जनपद जौनपुर ।
- 3.मु.अ.सं. 10/23 धारा 174A IPC थाना बरसठी जनपद जौनपुर ।
- 4.मु.अ.सं. 117/23 धारा 307, 394, 411 भादवि थाना बरसठी जनपद जौनपुर ।
- 5.मु.अ.सं. 86/2022 धारा 307, 411 भादवि थाना चंदवक जनपद जौनपुर ।
- 6.मु.अ.सं. 089/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चंदवक जनपद जौनपुर ।
- 7.मु.अ.सं. 183/2022 धारा 406, 411, 420 भादवि थाना जलालपुर जनपद जौनपुर ।
- 8.मु.अ.सं. 0078/2021 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना बरसठी जनपद जौनपुर ।
- 9.मु.अ.सं. 007/26 धारा 318(4)/304(2)/317(2) बीएनएस थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01.कुल 940/- रुपये बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सचिन कुमार पटेल मय हमराह का0 लालबहादुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।